

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण मय इन्शियल जज	नम्बर की इस में हुक्म
02.03.2022	<p>पशाबली पंचा दुई व जाल उतिवासी ने अपना कस में बताया कि शाबम खावित करने का भाव वासी पर होता है। शाबम अधिनियम के अनुसार अपने दावा के समर्थन में शाबम पेश करना होता है, जो की नहीं किया गया है। हालांकि वाब वासी खारिज परमाया जाये। पशाबली का अवलोकन किया गया। वासी द्वारा कीर शाबम सबूत दावे के समर्थन में उत्पन्न नहीं किया गया है। जिससे यह दावा खावित हो। वाबम के अभाव में दावा खारिज किया जाने योग्य है। अतः वाब वासी खारिज किया जाता है। पशाबली जखल सुमाट होकर वाब व जाल प्रति दाखिल दफ्तर्द है।</p>	<p>— — —</p>

Qup

